फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम – नसीराबाद

दुर्गा वगै. बनाम भैरू वगै.

किस्म मुकदमा – 88,183,188 रा. काश्त. अधि. 1955

प्रकरण संख्या 25 सन – 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8.3.18	अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली वास्ते इन्तजारी तलबी दिनांक 19.4.18 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद 19.4.18 पीठासीन अधि[illegible] न्यायालय से बाहर दौरे/अव[illegible] क कार्य में व्यस्त रहने के कारण पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 18.6.18 को पेश हो। आदेशानुसार [signature] रीडर न्याय आपके द्वार अभियान – 2018 लोक अदालत	
18.6.18	पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं ने उपस्थित हो कर स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया जिनकी तरफ से अधिवक्ता श्री [illegible] ने व श्री राज. सरकार ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल है। उभयपक्ष [illegible] पेश नहीं करना चाहते है। उभयपक्ष को सुना गया। निर्णय सुनाया गया जो शामिल मिसल है।	मीना [illegible] [signatures]

पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बरान से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। [signature]

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट : [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 25/2018
कैम्प ग्राम पंचायत :– रामसर

उनवान

1 दुर्गा पत्नी रामचन्द्र
2. सुखपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम रामबाड़ी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. मीरा पत्नी सांवरलाल
2. सोबाक पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी ग्राम रूघनाथपुरा नसीराबाद
3. मैनेजर बैंक आफॅ बडौदा शाखा रामसर, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 व 2 स्वयं
4 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18.6.18

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामबाडी के खसरा नम्बर 430 से 443, 445 से 471, 413, 415, 435/9723 व 450/9726 की आराजी वादीगण पे प्रतिवादीगण को विक्रय की थी। उक्त विक्रय पत्र में अमरचन्द ने आराजी मुतनाजा में अपना सम्पूर्ण हिस्सा व वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 430 से 435 में अपना 1/2 हिस्से का बैचान प्रतिवादीगण को किया गया था। किन्तु नामान्तरकरण संख्या 62 दिनांक 27.8.12 द्वारा उक्त खसरा नम्बर का सम्पूर्ण हिस्स प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 430 से 435 में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब पेश कर वाद के तथ्यों को स्वीकार किया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का हिस्सा आराजी मुतनाजा में गलत दर्ज हो गया है।

पत्रावली का अवलोकन किया। अन्य आराजी के साथ वादग्रस्त आराजी वादीगण व अमरचन्द उर्फ अमरा ने प्रतिवादीगण को दिनांक 3.7.12 को जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। वादीगण ने खसरा नम्बर 430 से 435 की आराजी में अपने हिस्से का 1/2 हिस्सा ही बैचान किया था। किन्तु उक्त खसरा नम्बरो में वादीगण का सम्पूर्ण हिस्सा ही प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है। राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वादीगण के कथनों की ताईद होती है। प्रतिवादीगण स्वयं ने स्वीकारोक्ति को जवाब पेश किया है। राज0 पैरोकार ने वाद का खण्डन नही किया है। किन्तु आराजी मुतनाजा प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में रहन दर्ज है। अतः आराजी मुतनाजा पर रहन मुक्ति के बाद ही वादीगण खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है।

अतः ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 430/1.03, 431/5.21, 433/0.06, 434/0.13, 435/0.29 व 432/1.77 की आराजी पर वादीगण का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि ग्राम रामबाडी के खसरा नम्बर 430/1.03, 431/5.21, 433/0.06, 434/0.13, 435/0.29 व 432/1.77 पर

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत कैम्प कोर्ट

वादीगण को 1/6 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज पूर्वानुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद इस आशय की पालना बैंक रहन मुक्त होने के बाद करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.6.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प कोर्ट

न्याय आपके द्वार 2018

कैम्प कोर्ट :– रामसर

डिकी व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

दुर्गा बनाम मीरा

दावा बाबत :– 92ए, 88, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 25/2018
पेश करने की दिनांक – 8.3.18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई प्रतिवादी स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम रामबाडी के हाल खसरा नम्बर 430/1.03, 431/5.21, 433/0.06, 434/0.13, 435/0.29 व 432/1.77 की आराजी पर वादीगण का वाद इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि ग्राम रामबाडी के खसरा नम्बर 430/1.03, 431/5.21, 433/0.06, 434/0.13, 435/0.29 व 432/1.77 पर वादीगण को 1/6 हिस्से व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 को 1/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज पूर्वानुसार रहेगा। तहसीलदार नसीराबाद इस आशय की पालना बैंक रहन मुक्त होने के बाद करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक---------- को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 18 माह जून सन् **2018** को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद